

कार्यालय आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
इन्द्रावती भवन, भूतल, ब्लॉक 4डी, अटल नगर जिला रायपुर (छ0ग0)
☎ - 2263708 Fax - 2262558

website - tribal.cg.gov.in

E mail - ctd.cg@nic.in

क्रमांक/यू.कै.नि.यो./133/2018-19/9874

अटल नगर जिला रायपुर दिनांक 25/01/2019

संघ/राज्य लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु कोचिंग प्रदान किये जाने हेतु राज्य स्थित
प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं से "रुचि की अभिव्यक्ति" का आमंत्रण

युवा कैरियर निर्माण योजना नियमावली, वर्ष 2015 अंतर्गत राज्य स्थित प्रतिष्ठित निजी कोचिंग संस्थानों के माध्यम से राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के कुल 100 विद्यार्थियों को जिला रायपुर (50 सीटे) एवं जिला दुर्ग (50 सीटे) में संघ/राज्य लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है। अतएव विभाग द्वारा इस क्षेत्र में कार्यरत राज्य स्थित निजी प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं से "रुचि की अभिव्यक्ति" (Expression of Interest) के माध्यम से प्रस्ताव आमंत्रित है।

इच्छुक कोचिंग संस्थाएं 03 बंद लिफाफा पद्धति में अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती है।

1. प्रथम बंद लिफाफा :- संस्था के अनिवार्य योग्यता संबंधी विवरण।
2. द्वितीय बंद लिफाफा :- संस्था के तकनीकी योग्यता संबंधी विवरण।
3. तृतीय बंद लिफाफा :- वित्तीय लिफाफा।

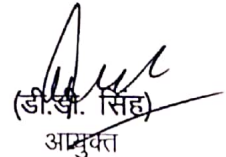
इन तीनों लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में सील बंद कर अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में जमा करना होगा। जमा किए जाने वाले अभिलेखों के प्रत्येक पृष्ठ पर संस्था प्रमुख का मोहर सहित हस्ताक्षर होना चाहिए। संस्था के अनिवार्य योग्यता संबंधी दस्तावेजों के पूर्ण पाए जाने पर ही द्वितीय लिफाफा खोला जाएगा। द्वितीय लिफाफा (तकनीकी संबंधी योग्यता) में पात्र पाए जाने पर ही तृतीय लिफाफा खोला जाएगा। तकनीकी योग्यता (विवरण) के लिए कुल 100 अंक होगा। इसका 60 प्रतिशत अधिभार एवं वित्तीय मूल्यांकन का 40 प्रतिशत अधिभार देते हुए तकनीकी एवं वित्तीय का संयुक्त मूल्यांकन किया जायेगा एवं चयन समिति के द्वारा जिला रायपुर एवं जिला दुर्ग हेतु अंतिम मूल्यांकन उपरांत अधिकतम 3-3 संस्थाओं का चयन किया जा सकेगा। अभ्यर्थी अपनी रुचि के अनुसार इन संस्थाओं में से किसी एक संस्था में प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे।

यदि कोई संस्था दोनों जिलों (रायपुर एवं दुर्ग) में प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु इच्छुक है तो वे वित्तीय लिफाफा में रायपुर एवं दुर्ग हेतु पृथक-पृथक वित्तीय दर प्रस्तुत कर सकते हैं।

इच्छुक कोचिंग संस्थाएं आवेदन का प्रारूप, न्यूनतम पात्रता, शर्तें, सुरक्षानिधि की राशि तथा अन्य जानकारी विभाग की वेबसाईट www.tribal.cg.gov.in से अवलोकन अथवा डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन पत्र विभागीय वेबसाईड से डाउनलोड कर प्रस्तुत करने हेतु संस्थाओं को अपने प्रस्ताव के साथ रु. 1000/- का बैंक ड्राफ्ट आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, इन्द्रावती भवन, के नाम पर राष्ट्रीयकृत बैंक का संलग्न करना होगा।

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. प्रस्ताव को जमा करने की अंतिम तिथि | - 14.02.2019, अपराह्न 4.00 बजे तक |
| 2. निर्धारित तिथि तक प्राप्त प्रस्ताव को समिति के समक्ष खोला जाना | - 15.02.2019, अपराह्न 12.00 बजे तक |
| 3. पात्र पाए गए कोचिंग संस्थाओं का समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण एवं अंतिम मूल्यांकन | - 19.02.2019, अपराह्न 12.00 बजे तक |

लिफाफा खोलते समय संस्थाओं के अधीकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। डाक विभाग के गड़बड़ी के कारण विलंब से प्राप्त होने वाले आवेदन मान्य नहीं होंगे।


(जी.के. सिंह)
आयुक्त

★ आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
अटल नगर जिला रायपुर, छत्तीसगढ़

संघ/राज्य लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु राज्य स्थित प्रतिष्ठित कोचिंग

संस्थाओं से "रुचि की अभिव्यक्ति" का आमंत्रण हेतु

आवेदन पत्र

(रुचि की अभिव्यक्ति की सूचना क्रमांकदिनांक.....के संदर्भ में)

भाग- एक (प्रथम लिफाफा)

(कोचिंग संस्था के लिए न्यूनतम अर्हता संबंधी अभिलेख)

क्र.	विवरण	संबंधित संलग्न अभिलेख का पृष्ठ क्र. अंकित करें
1.	कोचिंग संस्था सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860/छ.ग. सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1973/कम्पनीज एक्ट 1956/ए ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर इंडियन ट्रस्ट एक्ट (रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट अनिवार्य तथा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी) तहत पंजीकृत हो। संस्था का पंजीयन निविदा प्रकाशन दिनांक से न्यूनतम 03 वर्ष पूर्व का होना चाहिए। पंजीयन गलत प्राप्त होने अथवा शिकायत प्राप्त होने पर संस्था के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।	
2.	संस्था का पेन नम्बर (पेन कार्ड) की स्वयं सत्यापित छायाप्रति (पेन नंबर अनिवार्यतः होना चाहिए)।	
3.	संस्था का जी.एस.टी. नम्बर (जी.एस.टी. प्रमाण पत्र)/टेन नंबर की स्वयं सत्यापित छायाप्रति।	
4.	(i) प्रति वर्ष का टर्न ओव्हर 30.00 लाख से कम नहीं होना चाहिए। संस्था को प्रमाण स्वरूप विगत 02 वर्षों का अंकेक्षण प्रतिवेदन (आडिट रिपोर्ट) प्रस्तुत करना होगा। (ii) पिछले 02 वर्षों में सर्विस टेक्स/जी.एस.टी. जमा किया गया हो अथवा छूट प्रदान की गयी हो, के संबंध में दस्तावेज	
5.	सुरक्षा निधि के रूप में रु 1.00 लाख का बैंक ड्राफ्ट/एफ.डी. आर. 01 वर्ष की अवधि हेतु जो आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, इंद्रावती भवन, अटल नगर जिला रायपुर छ.ग. के पक्ष में हो, संलग्न होना चाहिए।	

टीप:- कृपया केवल वांछित दस्तावेज ही संलग्न करें।

संस्था प्रमुख का हस्ताक्षर

पद मुद्रा सहित

क्रमांक:- 01 (संस्था का सामान्य परिचय-पुष्टि हेतु अभिलेख संलग्न किया जावे)

1. (अ) छ.ग. स्थित कोचिंग संस्था का नाम :
(ब) कोचिंग संस्था का पूर्ण पता :
:
(स) दूरभाष (कोड सहित) :
2. कोचिंग संस्था को यह व्यवसाय करने :
हेतु किस विभाग से मान्यता प्राप्त है,
विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र/पंजीयन का
क्रमांक एवं दिनांक
3. यदि कोचिंग संस्था किसी समिति/कंपनीज एक्ट के अंतर्गत संचालित है तो :-
(अ) समिति/कंपनीज एक्ट का नाम :
:
(ब) समिति/कंपनीज एक्ट के कार्यालय :
का पूर्ण पता :
(स) दूरभाष (कोड सहित) :
4. (अ) समिति/कंपनीज एक्ट किस एक्ट के तहत पंजीकृत है :
(ब) समिति/कंपनीज एक्ट का जीवित पंजीयन क्रमांक :
(स) समिति/कंपनीज एक्ट का वैधता दिनांक :
(द) समिति/कंपनीज एक्ट के गर्वनमेन्ट बॉडी की अंतिम बैठक का दिनांक :
(इ) समिति/कंपनीज एक्ट के अंतिम बैठक की आम सभा का दिनांक :
(फ) समिति/कंपनीज एक्ट के गर्वन्मेन्ट बॉडी के अध्यक्ष, :
सचिव एवं सदस्यों के नाम एवं पूर्ण पता :
मोबाईल नंबर सहित :
5. अशासकीय शिक्षण संस्था को किस :
विभाग की मान्यता प्राप्त है, तथा
किस अवधि तक के लिए वैध है के
बारे में विवरण (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
6. प्रस्तावित प्रोजेक्ट हेतु नियुक्त प्रोजेक्ट इनचार्ज का नाम :-
(अ) इन्चार्ज का नाम :
(ब) शैक्षणिक अर्हता :
(स) अनुभव :

भाग- 2 (01)
क्रमांक:- 02 कोचिंग संस्था के मुल्यांकन हेतु

क्र.	विवरण	संबंधित अभिलेख संलग्न किया जावे
1.	कोचिंग संस्था द्वारा आयोजित की जाने वाली कक्षाओं के क्रियान्वयन की विस्तृत कार्य योजना की रणनीति।	
2.	कोचिंग संस्था द्वारा प्रकाशित किताबों की एक एक प्रति।	
3.	कोचिंग संस्था द्वारा दिए जाने वाले स्टडी मटेरियल तथा टेस्ट पेपर (प्रिंटेड) की एक एक प्रति।	
4.	कोचिंग संस्था से संघ/राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में विगत 3 वर्षों में अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची।	

नोट :- संघ/राज्य लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों का नाम, पदनाम, मोबाइल नम्बर एवं शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या, अंतिम रूप से चयनित विद्यार्थियों की संख्या, सफलता का प्रतिशत प्रस्तुत करें तथा अनारक्षित/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग की वर्गवार सूची पृथक से अवश्य रूप से संलग्न की जाये।

टीप:- कृपया केवल वांछित दस्तावेज ही संलग्न करें।

संस्था प्रमुख का हस्ताक्षर
पद मुद्रा सहित

भाग - 2 (01)

क्रमांक:- 03 कोचिंग संस्था के फ़ैकलटी, जिनके द्वारा कोचिंग में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा

क्र.	शिक्षक का नाम	योग्यता	स्नातक एवं स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली संस्था का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	अनुभव	अध्यापन का विषय

टीप :- सभी का बायोडाटा अनिवार्य रूपेण संलग्न होना चाहिए।

संस्था प्रमुख का हस्ताक्षर
पद मुद्रा सहित

अन्य आवश्यक शर्तें :-

1. कोचिंग/प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु संसाधनिक सुविधाएं (भवन, फर्नीचर, कम्प्यूटर, स्टडी मटेरियल, आर.ओ. वाटर व्यवस्था इत्यादि) चयनित संस्था के द्वारा प्रदान की जायेगी। आवश्यक होने पर कार्य आदेश जारी किये जाने से पूर्व विभाग द्वारा संस्था का निरीक्षण किया जा सकेगा।
2. छात्रों के शंका समाधान को दूर करने हेतु कक्षाएं आयोजित करनी होगी।
3. कक्षा में लिए जाने वाले टेस्ट की सूचना तथा छात्रों की प्रगति की सूचना मॉनिटरिंग/कार्यालयीन समिति को देनी होगी।
4. किसी अलिखित समस्या के आने पर कोचिंग संस्था को मॉनिटरिंग/कार्यालयीन समिति के साथ सामंजस्य बैठा कर समस्या को सुलझाना होगा।
5. छात्रों के बौद्धिक विकास हेतु काउन्सलर की नियुक्ति कोचिंग संस्था को करनी होगी।
6. चयनित छात्रों के कक्षा में उपस्थिति तथा अनुशासन का ध्यान कोचिंग प्रबंधन को रखना होगा, अनुशासन हीन पाए जाने पर किसी चयनित छात्र के स्थान पर दुसरे छात्र को पढने का अवसर मॉनिटरिंग/कार्यालयीन समिति के निर्णय से दिया जा सकेगा।
7. कोचिंग संस्था द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण सत्र के अनुसार संघ/राज्य लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु एक वर्ष का प्रशिक्षण दिया जायेगा एवं मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने पर साक्षात्कार हेतु भी प्रशिक्षण दिया जायेगा।
8. कोचिंग संस्थाओं का भुगतान युवा कैरियर निर्माण योजना नियमावली वर्ष 2015 की कंडिका 18(V) के अनुसार किया जायेगा।
9. कोचिंग संस्था का संचालन युवा कैरियर निर्माण योजना नियमावली वर्ष 2015 के तहत किया जायेगा। अतः अनिवार्य रूप से नियमावली का अवलोकन करें। उक्त नियमावली विभागीय वेब-साईट (www.tribal.cg.gov.in) पर उपलब्ध है।

भाग -2 (03)

संस्था संचालक की घोषणा

मैं घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि आवेदन पत्र के भाग-2 (01) से लेकर भाग -2 (03) में दर्शाई गई जानकारी एवं उनकी पुष्टि हेतु पृथक से संलग्न विस्तृत विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है।

मैं संघ/राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु प्रशिक्षण/कोचिंग योजना (युवा कैरियर निर्माण योजना नियमावली वर्ष 2015) एवं "रूचि की अभिव्यक्ति" में दिए गए प्रावधानों का भलीभांति अध्ययन कर लिया गया है एवं इससे सहमत हूँ। विभाग द्वारा अध्यापन/प्रशिक्षण (कोचिंग) कार्य हेतु चयन किये जाने की स्थिति में विभागीय निर्देशों का पालन करते हुए निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण किया जाएगा एवं अनुबंध का पालन किया जाएगा।

दिनांक :

स्थान :

हस्ताक्षर/मोहर

सहित

टीप:- प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदन पत्र एवं इसमें संलग्न किए गए समस्त अभिलेखों पर संस्था संचालक का सील सहित हस्ताक्षर होना चाहिए।

संघ/राज्य लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु कोचिंग प्रदान किये जाने हेतु राज्य स्थित प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं से "रुचि की अभिव्यक्ति" का आमंत्रण

वित्तीय प्रस्ताव – भाग (तीन)

(रुचि की अभिव्यक्ति की सूचना क्रमांक.....दिनांक.....के संदर्भ में)

कार्य का नाम	जिला	प्रस्तावित राशि समस्त कर सहित (दर प्रति विद्यार्थी)	
		अंको में	शब्दों में
संघ/राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु कोचिंग/प्रशिक्षण	रायपुर (50 सीट)		
	दुर्ग (50 सीट)		

उपरोक्त दर समस्त कर सहित है एवं इस दर पर मैं कार्य करने हेतु सहमत हूँ।

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर
(पदमुद्रा सहित)

- टीप :- 1. यह वित्तीय प्रस्ताव पृथक सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत किया जावे।
2. कोई भी कांट-छांट स्वीकार नहीं किया जाएगा।